रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1013] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 2011/ज्येष्ठ 5, 1933
No. 1013] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 2011/JYAISTHA 5, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई , 2011

(आय-कर)

का.आ. 1214(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पाँचवां संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये 1 जुलाई, 2011 को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 114ख में, —

(i) स्पष्टीकरण खंड (ट) के स्पष्टीकरण (क) में, "टूर आपरेटर" शब्दों के स्थान पर "टूर आपरेटर या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (ग) में यथापरिभाषित प्राधिकृत व्यक्ति" शब्द कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

(ii) खंड (ठ) में, "कोई क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए" शब्दों के स्थान पर "किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को जारी करने के लिए" शब्द रखे जाएंगे ।

(iii) खंड (त) के पश्चात् और पहले परंतुक से पहले निम्नलिखत खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(थ) जीवन बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (9) में यथापरिभाषित किसी बीमांकक को जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में एक वर्ष में संकलित पचास हजार रुपए या अधिक की किसी रकम का संदाय;

(द) किसी ब्यौहारी को बुलियन या आभूषण के क्रय के लिए :—

"(i) किसी एक समय में पांच लाख या अधिक की किसी रकम का संदाय या,

(ii) पांच लाख रुपए या अधिक की किसी रकम के लिए किसी बिल के विरुद्ध संदाय :" ।

[अधिसूचना संख्या 27/2011/फा. सं.149/122/2010-एसओ (टीपीएल)]

पवन के. कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का. आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2011 संख्यांक का.आ. 694(अ), तारीख 5-4-2011 द्वारा किया गया ।